

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार
श्री के.आर.चौहान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़
केम्प मियाला

प्र.सं 11/2017 रे.वाद

निर्णय दिनांक 1.05.2018

अनवान

1. श्री लालु पिता चौखा कलाल नि. जोगेला (आसन) त.देवगढ़ जि.
राजसमंद

.....वादी


बनाम

1. श्री मोहन पिता भाना जी कलाल नि. जोगेला (आसन) त.देवगढ़
जि.राजसमंद
2. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जि.राजसमंद

.....प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प
मियाला में पेश हुई। तहसीलदार देवगढ़ ने बंटवाड़ा प्रस्ताव
तैयार कर पेश किया जिसका अवलोकन किया गया।
बंटवाड़ा प्रस्ताव उचित प्रतित होता हैं। बंटवाड़ा प्रस्ताव
अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खाते की भूमि का
बंटवाड़ा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खाते भी पृथक पृथक कायम
करने के आदेश दिये जाते हैं। ग्राम आसन प.ह. मियाला त.
देवगढ़ में स्थित आराजियात।


सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमंद

ग्राम आसन

1. लालू पिता चोखा कलाल नि. आसन के हिस्से व खाते:-

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1557	0.05	पाली 0.01 ह.2 0.04	0.16
1562 / 1	0.07	ह 0.07	0.25
1822	0.17	ह.2	0.64
1823 / 1	0.17	बीड	0.20
1825	0.10.10	बीड2	0.06
1825 / 2	0.05	बीड1	0.20
1825 / 3	0.05	बीड1	
1829	0.03.06	ह.2	0.13
1830	0.08.16	ह.2	0.13
1835	0.10	कु.2	0.12
1844	0.04.17	ह.2	0.18
1845	0.08	बीड1	0.13
योग 12	5.1.09		2.20

2. मोहन पिता भाना कलाल नि. आसन के हिस्से व खाते:-

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1557 / 1	0.06	पाली 0.01 ह. 0.05	0.18
1562	0.07	ह 0.06 बीड1	0.25
1823	1.11	ह.2 0.11 बीड2	
1825 / 4	0.02	बीड2 1.00 बीड	0.84
1826	0.10.12	ह.2	0.35


सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

1831	0.04	कु.2	0.40
1835 / 1	0.18	कु.2	0.30
1837	0.12	बीड2 0.05	0.06
1838 / 1	0.05	ह.1 0.07	0.26
1841	0.06	बीड1 चट्टान 0.01 ह.1 0.05	0.50
योग 10	5.01.12		3.23

3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के खाते:-

आरजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1825 / 1	0.12.10	ग.मु.सड़क	0.24
1826 / 1	0.08	ग.मु.सड़क	0.01
1829 / 1	0.014	ग.मु.सड़क	0.02
1830 / 1	0.02.04	ग.मु.सड़क	0.35
1844 / 1	0.03.03	ग.मु.सड़क	
1845 / 1	0.11	ग.मु.सड़क	
योग 6	1.09.19		0.62

वादी वादग्रस्त कुलिया भूमि के लगान की 5 गुणा राशि के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेश करें तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें। निर्णय आज दिनांक 1.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मियाला में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द
देवगढ़ जिला राजसमन्द
कैम्प मियाला

